


शासकीय कार्यों के प्रयोगार्थ अनुबंध पर 01 वाहन लिए जाने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में जारी अल्पकालीन निविदा का विवरण।

कार्यालय श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के अन्तर्गत शासकीय कार्यों के प्रयोगार्थ मासिक किराए पर पेट्रोल चलित 01 वाहन (अर्टिगा BS 6 माडल) लिए जाने हेतु कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति तथा शासकीय कार्यों की अपरिहार्यता को देखते हुए सीलबंद अल्पकालिक निविदा कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी में आमंत्रित की जाती है।

सीलबंद निविदा प्रपत्र, निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक : 20.09.2021 की अपरान्ह 05:00 बजे तक कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी में प्राप्त होने आवश्यक हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदाएं अस्वीकार्य होंगी।

प्राप्त सीलबंद निविदाएं दिनांक : 21.09.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी।


निविदा प्रपत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार योग्य न्यूनतम दरदाता फर्म को पत्र द्वारा अग्रिम कार्यवाही/वाहन आपूर्ति हेतु पृथक से सूचित कर दिया जाएगा।


श्रम आयुक्त
उत्तराखण्ड

ह०/—
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

शासकीय कार्यों के प्रयोगार्थ अनुबंध पर 01 वाहन लिए जाने हेतु जारी निविदा
संबंधी नियम एवं शर्तें ।

- 1- आपूर्ति किया जाने वाला वाहन पेट्रोल चलित अर्टिगा BS-6 माडल होना आवश्यक है। उक्त अंकित वाहन का मेक माडल अप्रैल, 2019 के बाद का होना आवश्यक होगा। नवीन वाहन को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी।
- 3- निविदा प्रपत्रों में वाहन का मासिक किराया बिना वाहन चालक तथा बिना ईंधन की स्थिति में उपलब्ध कराया जाएगा। ईंधन की आपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी तथा वाहन का संचालन विभागीय वाहन चालक द्वारा किया जाएगा।
- 4- आपूर्ति किया जाने वाला वाहन अर्टिगा BS-6 माडल उत्तम गुणवत्तायुक्त होना आवश्यक है तथा वाहन की आन्तरिक साज-सज्जा यथा-सीट कवर; तौलिया, प्रकाश की उचित व्यवस्था, फुटमैट, बैक कैमरा, साईड फुट स्टेप; रोलर कर्टन इत्यादि उत्तम कोटि का होगा। आपूर्ति के उपरान्त विभाग द्वारा यदि वाहन में अन्य कोई ऐसेसिरीज या उपकरण लगाए जाते हैं तो संबंधित फर्म द्वारा बीजक प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा।
- 5- वाहन के टायर; बैटरी; हैडलाईट, बैक लाईट; इन्डीकेटर; फन्ट तथा बैक वाईपर, समस्त ग्लास, दरवाजे तथा वाहन संबंधी अन्य समस्त उपकरण उचित तथा उत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त होना आवश्यक है तथा वाहन में अग्नि सुरक्षा उपकरण मानकों के अनुसार होना आवश्यक है।
- 6- आपूर्तित वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है तथा अनुबंध की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र अर्थात वाहन पंजीयन; व्यावसायिक परमिट शुल्क; वाहन फिटनेस; बीमा आदि वैध होना आवश्यक है। संबंधित साक्ष्य की प्रति संलग्न करें।
- 7- आपूर्तित वाहन, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत आल इण्डिया परमिट से आच्छादित होना आवश्यक है, किसी भी प्रकार के निजी वाहन की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
- 8- यात्रा के दौरान वाहन में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता फर्म को तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता फर्म वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है, उस परिस्थिति में विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।
- 9- वाहन का प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप राज्य में अथवा राज्य के बाहर कहीं भी किया जाएगा।
- 10- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आवटित कार्य को पुनः किसी अन्य फर्म को हस्तगत नहीं किया जाएगा।
- 11- ईंधन की आपूर्ति दैनिक/मासिक (परिस्थिति के अनुरूप) लागबुक के आधार पर विभाग द्वारा होगी। ईंधन के व्यय को अपडेट/विवरण को संरक्षित रखने हेतु लागबुक आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी। लागबुक में संबंधित विवरण को विभागीय वाहन चालक द्वारा ही अंकित किया जाएगा।
- 12- आपूर्तित वाहन की नियमानुसार समय-समय पर सर्विसिंग आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा स्वयं कराई जाएगी।


श्रम आयुक्त
उत्तराखण्ड

- 13- सेवा प्रदान करने में विलम्ब होने पर दर अनुबंध का निरस्तीकरण निम्नांकित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति धनराशि को जब्त करते हुए दर पंजीयन को समाप्त कर दिया जायेगा :-
क-यदि आपूर्तिकर्ता फर्म समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।
ख-यदि आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषप्रद न हों।
- 14- **कर एवं अन्य देयकों का भुगतान :-**
क- सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर; पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन किया जायेगा, प्रमाणित बीजक प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
ख- अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति नियमानुसार लागू करों आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा किया जायेगा प्रमाणित बीजक प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
- 15- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कार्य के संबंध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा-श्रम अधिनियम; न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम; पी०एफ०; ई०एस०आई०; मोटरयान अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा।
- 16- उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कोई बिन्दु जो वाहन किराए पर लिए जाने से संबंधित हो एवं जिसे उक्त इंगित शर्तों में सम्मिलित नहीं किया जा सका हो, तो संज्ञान होने पर संबंधित बिन्दु को पृथक से अवगत कराया जाएगा।
- 17- नियम तथा शर्तों को परिवर्तित करने तथा अनुबंध पर लिए जाने वाले वाहनों की संख्या को कम करने का पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा।
- 18- निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क रूपया 250/- (रूपया दो सौ पचास मात्र) का ड्राफ्ट तथा धरोहर धनराशि रूपया 5,000/- (रूपया पांच हजार मात्र) की F.D जो श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में निविदा प्रपत्र को रद्द कर दिया जाएगा।
- 19- निविदादाता द्वारा फर्म का GST में पंजीयन तथा पैन एकाउण्ट संबंधी प्रपत्र लगाया जाना आवश्यक होगा।
- 20- बीजकों का भुगतान नियमानुसार जी०एस०टी० TDS तथा आयकर TDS काटते हुए किया जाएगा।
- 21- निविदा प्रपत्रों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन तथा अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही अर्थात् निविदा को खोले जाने की तिथि में परिवर्तन तथा रद्द किये जाने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना (संशोधन/शुद्धि पत्र) पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी जाएगी। किसी भी प्रकार का संशोधन एवं शुद्धि पत्र विभागीय वेब साईट www.labour.uk.gov.in में अपलोड किया जाएगा।

क्रमांक	विवरण	धनराशि/दरें समस्त करों सहित	अभ्युक्ति
1	वाहन ईंधन तथा चालक रहित।		

श्रम आयुक्त
उत्तराखण्ड

विद्युत वितरण विभाग में विजिली बचाये
उपरोक्त दोलन की मरम्मत - 18004190405 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।
"विद्युत विलो की प्रति एवं मुगतान 24x7 ऑनलाइन www.upcl.org से करें।" अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, पिथौरागढ़

कार्यालय छावनी परिषद, राणीखेत
पूरमाप : 220239, फोन : 220614, ई-मेल : cbrankh@doest.org
दिनांक : 07.09.2021

आम सूचना

राणीखेत छावनी के सभी सम्मानित जनता को अवगत कराना है कि वर्ष 2021-22 से सम्मानित सम्पत्तिधारक के देयक भारत सरकार के ई-गवर्नन्स कोर्टव के माध्यम से जेनरेट करने के उपरान्त निर्गत किए जा चुके हैं जिनके अनुसार मुगतान की तिथि दिनांक 30.09.2021 तक निर्धारित है। यदि किसी करदाता द्वारा उपरोक्त अवधि तक मुगतान नहीं किया जाता है तो इस विधि से :-

1. डिमाण्ड नोटिस शुल्क रु. 100/- प्रति नोटिस छावनी अभियन्ता, 2006 की धारा 100(2) के अन्तर्गत करदाता द्वारा देय होगा।
2. छावनी अभियन्ता, 2006 की धारा 102(1) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में मुगतान नहीं करने की स्थिति में अवरोध राशि पर प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से ब्याज का मुगतान करदाता द्वारा अलग से दिया जाना होगा।

अतः ऐसे सभी करदाता जिनके द्वारा अपने सम्पत्ति कर का मुगतान अभी तक कार्यालय को नहीं किया गया है, वे उपरोक्तानुसार 30.09.2021 तक अपनी-अपनी सम्पत्ति का मुगतान करने का फल्ट करें। पुनः यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश देयक प्राप्त नहीं हो पाया है अथवा देयक में किसी प्रकार की त्रुटि अंकित हो, तो किसी भी कार्यदिवस के दिन कार्यालय से सम्पर्क करते हुए देयक प्राप्त किया जा सकता है अथवा त्रुटि को संशोधित किया जा सकता है।
(कोली आकाश सन्तोष)
मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, राणीखेत

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी
पत्रांक : 3707/नजा/वाहन/आउटसोर्स/निविदा/2021-22 दिनांक : 09.09.2021

कार्यालय श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के अन्तर्गत शासकीय कार्यों के प्रयोगार्थ मासिक किराए पर पेट्रोल चलित 01 वाहन (अर्टिगा, BS 6 माडल) लिए जाने हेतु सीलबंद अल्पकालिक निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र, शर्तें श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाईट www.labour.uk.gov.in में दिनांक 10.09.2021 को 11.00 बजे से देखी जा सकती हैं।

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड बागेश्वर-263642
दूरभाष/फैक्स : 05963-221262 E-mail : L.eseedbgr@gmail.com

पत्रांक : 1956/विचिख(बा.)/ दिनांक : 09.09.2021

"सूचना सूचना"

समस्त सम्मानित नागरिकों को सूचित किया जाता है कि 33/11 केवी. उपसंस्थान कर्मों से निकलने वाले 11 केवी. वधर फीडर को दिनांक 10.09.2021 (शुक्रवार) से प्रातः 11.30 बजे से नियमित रूप से (24x7 मोड पर) संचालन किया जायेगा। अतः समस्त सम्मानित नागरिकों से अनुरोध है कि 33/11 केवी. उपसंस्थान कर्मों से निकलने वाले 11 केवी. वधर फीडर के खम्बों, तारों, स्टे इत्यादि को न छुयें, साथ ही लाइन के नीचे किसी भी प्रकार की गतिविधि ना करें। यदि किसी प्रकार की कोई कमी देखी जाती है तो निम्न नम्बरों पर सम्पर्क करें -

1. अवर अभियन्ता - 9456593566
2. उपखण्ड अधिकारी - 9412093018

"राष्ट्रहित में विजिली बचायें"
"विद्युत विलो के 24x7 ऑनलाइन मुगतान हेतु www.upcl.org में जायें।" अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड बागेश्वर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा पिथौरागढ़
पत्रांक : वैसिक/2930-32/अधिष्ठान/2021-22 दिनांक : 08.09.2021

विज्ञापित

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्रांक प्रा.शि.-दो(02)/11-2018/936/2021-22 दिनांक 05 मई 2021 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित रा. आ.प्रा.वि. तथा रा.आ.उ.प्रा.वि. विद्यालयों में रिक्त पदों पर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित की जानी है।

आदर्श विद्यालयों में चयन हेतु लिखित परीक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट डीडीहाट में दिनांक 05.10.2021 (मंगलवार) को प्रातः 10 बजे से आयोजित की जायेगी। अर्ह अध्यापक अपने आवेदन पत्र सम्बन्धी उप शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 18.09.2021 तक अनिवार्य रूप से जमा कर दें। रिक्त पदों की सूचना सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ. अशोक कुमार गुसाई)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़

पंतनगर-263145, जिला-उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

निविदा सूचना

इस विश्वविद्यालय एवं राजकीय निर्माण एजेंसियों तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से निम्न कार्य हेतु मुहुरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि (रु.)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रु.)	कार्य अवधि	पंजीकृत श्रेणी
1.	गन्ना अनुसंधान केंद्र, काशीपुर में भण्डार कक्ष की छत मरम्मत कार्य।	31,100.00	1000.00+ 18 प्रतिशत जी.एस.टी. अथवा टी. लागू हो	06 माह	अ, ब एवं स

निविदा की विक्री दिनांक 28.09.2021 को सायं 5:00 बजे तक एवं निविदा प्राप्ति दिनांक 29.09.2021 अपराह्न 3:00 बजे एवं निविदा खोलने की तिथि दिनांक 29.09.2021 सायं 3:30 बजे है। निविदा प्रपत्र सहायक निदेशक निर्माण एवं संयंत्र-प्रथम (निर्माण) के कार्यालय से उपरोक्त इंगित दिनांक एवं समय तक क्रय किये जा सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त, सर्रात एवं बिना आवश्यक धरोहर राशि की निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य विवरण एवं शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध हैं। सरकारी संस्थाओं को निविदा प्रपत्र एवं धरोहर राशि जमा करने से छूट है। निविदा की वैधता चार माह होगी।
निविदा सूचना सं.: स.नि.-प्रथम/71 दिनांक 07.09.2021
उपनिदेशक, निर्माण एवं संयंत्र (निर्माण)

इण्डियन ओवर्सीज बैंक
(भारत सरकार का उपकार) Indian Overseas Bank (A Government of India Enterprise)
देशीय कार्यालय : 585, इंदिरा नगर, मलिक चौक, देहरादून - 248001

परिष्कार की आवश्यकता

बैंक शाखा शिफ्ट करने हेतु परिसर के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव दो मोहुरबंद लिफाफों में जिस पर 'तकनीकी तथा वित्तीय' लिखा हो जमा करना है। परिसर में पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। कार्ययुक्त गृहिया का विवरण नीचे है। किसी भी प्रकार की दस्तावेज नहीं दी जायेगी। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार बिना कोई कारण दिए बैंक के पास सुरक्षित रहेगा।
निविदा प्रपत्र तिथि - 10.09.2021
उपरोक्त पत्र पर निविदा बोलीया प्राप्त करने की अंतिम तिथि - 23.09.2021 प्रातः 4.00 बजे तक निविदा खोलने की तिथि - 24.09.2021 / अगले कार्य दिवस के आघार पर समिति के सदस्य। यदि 24.09.2021 को अवकाश है तो निविदा अगले कार्य दिवस पर खुलेगी। आवेदन प्रारूप के लिए हमारी वेबसाईट www.ioib.in (Tender Section) पर लागू अर्ज कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून उपर्युक्त पत्र से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

क्र.सं.	शाखा का नाम	जिला	वांछनीय कारपेट एरिया (वर्ग फुट में) (लगभग)
1.	विकास नगर	देहरादून	900 - 1200 वर्ग फुट।
2.	भानियावाला	देहरादून	1000 - 1200 वर्ग फुट।
3.	सुदोवाला	देहरादून	1000 - 1200 वर्ग फुट।
4.	पटेल नगर	देहरादून	1000 - 1200 वर्ग फुट।
5.	आर.ओ. देहरादून	देहरादून	3000 - 3500 वर्ग फुट।
6.	शिवालिक नगर	हरिद्वार	1000 - 1200 वर्ग फुट।
7.	कर्णप्रयाग	चमोली	900 - 1200 वर्ग फुट।
8.	श्रीनगर	पौड़ी गढ़वाली	900 - 1200 वर्ग फुट।
9.	कोटद्वार	पौड़ी गढ़वाली	900 - 1200 वर्ग फुट।
10.	बाजपुर	उधम सिंह नगर	900 - 1200 वर्ग फुट।
11.	किच्छा	उधम सिंह नगर	1000 - 1200 वर्ग फुट।

नोट - सीलबंद लिफाफे के ऊपर (शाखा का नाम तथा तकनीकी बोली/वित्तीय बोली) लिखा होना चाहिए।
वर्तित क्षेत्रीय पब्लिक

गो.ब. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पंतनगर फार्म, पोस्ट-हल्दी, जिला-उधमसिंह नगर-263146 (उत्तराखण्ड)

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी प्रखेत्र पर उत्पादित गन्ना, धान, सोयाबीन एवं उर्द पर विभिन्न कृषि कार्य किये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	निविदा क्रय की अन्तिम तिथि	निविदा जमा की अन्तिम तिथि
1.	विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी में उत्पादित गन्ने की कटाई, छिलाई, फन्दी बंधाई, चट्टा लगाई एवं ढुलाई कार्य	15.09.2021 अपराह्न 3:30 बजे	16.09.2021 अपराह्न 1:00 बजे
2.	विश्वविद्यालय फार्म पर उत्पादित धान, सोयाबीन एवं उर्द की कम्बाईन से कटाई एवं थ्रेसिंग कार्य	15.09.2021 अपराह्न 3:30 बजे	16.09.2021 अपराह्न 1:00 बजे

उपरोक्त कार्य करने हेतु इच्छुक निविदादाता इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्य दिवसों में कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.gbpuat.ac.in पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्रयोग की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 500+जी.एस.टी. बैंक ड्राफ्ट के साथ जो विश्वविद्यालय फार्म लेखा, हल्दी के नाम देय हो, संलान करने पर ही निविदायें वैध मानी जायेंगी।
मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)
दूरभाष: 05944-230243, 230245

रॉकिंग का जानकारी दी

रामनगर। एफएसओ किशोर उपाध्याय ने औद्योगिक क्षेत्रों में अर्जिन दुर्घटनाओं की रोकथाम और उक्त दुर्घटनाओं पर प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग विधि के बारे में बताया।

कोटियाल ने नाम पर कैसे है, इसका मायने में क्या है महिला विकास मंत्री मांग की है

कार्यालय जिला
पत्रांक : 1106/29-33 (संक्षिप्त पुनरीक्षण)

सर्वसाधारण को सूचित किया उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसारी के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के द्वारा BLO बैंक लिस्ट के माध्यम से विधान सभा सितम्बर, 2021 तक घर-घर जाकर जाँच एवं निर्वाचक नामावली में घूटे हुये अर्ह भारतीय न केवल नाम जो हटाए हेतु निदान प्रारूप में विधान सभा निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कर संबंधी रामस्त फार्म संबंधित BLO के पास उपर अपने परिद्वार के सदस्यों के नाम का सत्यापन

अतः जनपद के समस्त अर्ह गणमान्य व्यक्तियों से अपील है कि वे विधान और मतदाता सत्यापन कार्य के सम्पादन में बूझ कर, ताकि भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचक अर्ह भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची जा सके।

स्थान- जल्मोडा।

कार्यालय प्रभ
वन

Ph. No. 0135-2442052, Email: dfonnag
पत्रांक 914/15-2

कैन्टीन संचाल

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गंगा स्थित कैन्टीन के दो वर्षों के लिए संचालन हेतु निर्देश राजकीय हित के दृष्टिकोण से अपेक्षानुसार अर्ह दिनांक 28.08.2021 के द्वारा निविदा निरस्तोकर व्यक्तिगत कम्पनियों जिन्हें हॉस्पिटैलिटी एवं फूड संचालन करने का अनुभव हो, से डबल विड सिस्टम 24.09.2021 तक प्रभागोय वनाधिकारी, नरेन्द्रन डाक/स्प्रीड पोस्ट अथवा इस कार्यालय के टेण्डर बोर्ड विड एवं वित्तीय विड अलग-अलग लिफाफे में एवं सफल होने पर ही निविदादाता को वित्तीय विड खोलें तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय प्रभागोय वनाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 25.09.2021 ब 12:00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर तथा निविदा को शर्तें एवं प्रतिबन्ध को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निविदादाता को निविदा के लिए www.forest.uk.gov.in पर देखी जा सकती है।

स्थान का नाम	कार्य का नाम	संख्या
गंगा वाटिका (सुमन पार्क) ढालवाला	कैन्टीन	01